न्यायालय श्री सहायक ...
पीठासीन अधिकारी ...

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 64/2020

प्रार्थीः– मुकेश पुत्र श्री बंशीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी शिवनगर खाबड़ा खुर्द, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः– तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा

अप्रार्थी की ओर से– सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–::निर्णय::–

दिनांकः– 19/1/21

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 2625 रकबा 68 बीघा 06 बिस्वा मौजा ग्राम रामदेवनगर पटवार हल्का सिरमण्डी व खसरा नम्बर 1720 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1754 रकबा 03 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 1755 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा ग्राम शिवनगर पटवार हल्का खाबड़ा खुर्द, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम भूलवश मुकनाराम दर्ज कर दिया गया। जबकि प्राथी के अन्य सभी दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, जनआधारकार्ड, गैस डायरी, इत्यादि में मुकेश नाम दर्ज है। उक्त सभी राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल राजस्व कर्मचारियों की सद्‌भाविक भूल के कारण हुई है। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के नाम में एकरूपता नहीं होने की वजह से प्रार्थी को अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बैंक ऋण लेने में भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2625 रकबा 68 बीघा 06 बिस्वा, मौजा ग्राम रामदेवनगर पटवार हल्का सिरमण्डी व खसरा नम्बर 1720 रकबा 07

सहायक कलक्टर ओसियां

Scanned with CamScanner

बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1754 रकबा 03 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 1755 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा ग्राम शिवनगर पटवार हल्का खाबड़ा खुर्द, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम मुकनाराम पुत्र बंशीलाल दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर सही नाम मुकेश पुत्र बंशीलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम मुकनाराम पुत्र बंशीलाल के स्थान पर मुकेश पुत्र बंशीलाल दर्ज करने की अनुशंसा की।

यह है कि बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम मुकेश पुत्र बंशीलाल है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2625 रकबा 68 बीघा 06 बिस्वा, मौजा ग्राम रामदेवनगर पटवार हल्का सिरमण्डी व खसरा नम्बर 1720 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1754 रकबा 03 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 1755 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा ग्राम शिवनगर पटवार हल्का खाबड़ा खुर्द, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम मुकनाराम पुत्र बंशीलाल के स्थान पर वास्तविक नाम मुकेश पुत्र बंशीलाल दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 19/1/24 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां